

कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक: प्रशा-डी-तीन-8423 / 750

दिनांक: 24-5-19

सेवा में

वन संरक्षक, पश्चिमी परिमण्डल,
हिसार ।

विषय: Diversion of 0.012 ha. of forest land for access to Sir Chhotu Ram International School belonging to Ch. Basti Ram Bhakhar Memorial Educational Trust along Bhattu Kalan-Ludesar road, near km. stone 5, L/side, at Village Bhattu Kalan, under forest division and District Fatehabad, Haryana.

Online Proposal No. FP/HR/Approach/32886/2018

संदर्भ: आपका पत्र क्रमांक 272 दिनांक 21-5-2018 ।

कृपया उपर्युक्त विषय पर संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन अनुमति मांगी गई है ।

2. सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1670-व-2-2016/8430 दिनांक 6-5-2016 की अनुरूपता में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय स्तर पर इस प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त उद्देश्य हेतु 0.012 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी की सहमति/स्वीकृति उपरान्त सैद्धान्तिक स्वीकृति संलग्न संशोधित सी0ए0 स्कीम अनुसार निम्नलिखित शर्तों को पूरी करने पर प्रदान की जाती है :-

- (i) प्रयोक्ता एजैन्सी से स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए ।
- (ii) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30-10-2002, 28-3-2008, 24-4-2008 एवं 9-5-2008 तथा पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 5-2-2009 के अनुसार प्रयोक्ता एजैन्सी से प्रस्तावित वन भूमि की नैट प्रैजैन्ट वैल्यू जमा करवाई जाए ।
- (iii) प्रयोक्ता एजैन्सी भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की website www.parivesh.nic.in के माध्यम से अपने केस में चालान जनरेट करके उसमें अंकित लेखा में ही राशि जमा करवाएगी ।

3. अन्तिम स्वीकृति के उपरान्त निम्नलिखित शर्तों का पालन भी किया जाएगा ।

- (i) वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी ।
- (ii) प्रस्ताव के अनुसार कम से कम वृक्ष काटे जाएंगे एवं काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या 1 से अधिक नहीं होगी ।
- (iii) वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाए गए उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा ।
- (iv) साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा और साथ लगते हुए वन और भूमि को बचाने के लिए सभी प्रयत्न किए जाएंगे ।
- (v) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार जब कभी भी एन0पी0वी0 की राशि बढ़ाई जाएगी तो उस बढ़ी हुई एन0पी0वी0 की राशि को केम्पा हरियाणा के लेखा में जमा करवाने के लिए प्रयोक्ता एजैन्सी बाध्य होगी ।

- (vi) स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जाएगा ।
- (vii) सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा ।
- (viii) स्थानान्तरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गए क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेन्ट के खम्भों द्वारा चिह्नित की जाएंगी ।
- (ix) यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरणीय समाशोधन प्राप्त करेगी ।
- (x) कूड़ा कर्कट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जाएगा ।
- (xi) अन्य कोई भी शर्त इस कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय-समय पर लगाई जा सकती है ।
- (xii) इन शर्तों में से किसी भी शर्त की उल्लंघना वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की उल्लंघना होगी, जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 11-42/2017-FC दिनांक 29-1-2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।
- (xiii) यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी ।

4. उपरोक्त पैरा-2 के अधीन शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन अन्तिम स्वीकृति के लिए प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा । अन्तिम अनुमति दिए जाने तक वन भूमि का उपयोग नहीं किया जाएगा ।

संलग्न/संशोधित सी0ए0 स्कीम ।

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0 व केम्पा)
कृते: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
पंचकुला ।

Wep
24/5/19

24-5-19
[Signature]

प्रतिलिपि :-

1. अपर वन महानिदेशक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़ ।
2. वन मण्डल अधिकारी, फतेहाबाद को उनके पत्र क्रमांक 136 दिनांक 24-4-2019 के संदर्भ में ।
3. Ch. Basti Ram Bhakhar Memorial Educational Trust, 4 km. stone, Nohar Bhadra road, Bhattu, Distt. Fatehabad.

REVISED C.A.SCHEME

Diversion of 0.012 ha. of forest land for access to Sir Chhotu Ram International School belonging to Ch. Basti Ram Bhakhar Memorial Educational Trust along Bhattu Kalan-Ludesar road, near km. stone 5, L/side, at Village Bhattu Kalan, under forest division and District Fatehabad, Haryana.

Online Proposal No. FP/HR/Approach/32886/2018

Area to be Diverted : 0.012 ha.

No. of Trees to be felled : 1

No. of Plants to be damaged : 0

Plants to be Planted under normal CA : 100 (Minimum)

Area to be planted under normal CA : 0.10 ha. (@ 1000 plants per ha.)

S.No	DESCRIPTION		RATE	TOTAL AMOUNT (Rs.)
A	Compensatory Afforestation Charges	No. of Plant		
	(1) 1 st Year cost of afforestation	100	Rs. 359.10 Per Plant	35910
	(2) 2 nd Year maintenance		Rs. 115.35 Per Plant	11535
	(3) 3 rd Year maintenance		Rs. 41.89 Per Plant	4189
	(4) 4 th Year maintenance		Rs. 15.58 Per Plant	1558
	(5) 5 th Year maintenance		Rs. 15.58 Per Plant	1558
	(6) 6 th Year maintenance		Rs. 15.58 Per Plant	1558
	(7) 7 th Year maintenance		Rs. 15.58 Per Plant	1558
	(8) 8 th Year maintenance		Rs. 15.58 Per Plant	1558
	(9) 9 th Year maintenance		Rs. 15.58 Per Plant	1558
	(10) 10 th Year maintenance		Rs. 15.58 Per Plant	1558
	(11) Barbed wire fencing charge	RKM 0.4	Rs.76700/- Per RKM	30680
Total Charges				93220
Supervisory / Overhead / Miscellaneous Charges			10% on the CA charges	9322
Total (A) C.A. Charge				102542
B	Additional Compensatory Afforestation Charges			
	(1) 1 st Year cost of afforestation	0	Rs. 359.10 Per Plant	0
	(2) 2 nd Year maintenance		Rs. 115.35 Per Plant	0
	(3) 3 rd Year maintenance		Rs. 41.89 Per Plant	0
	(4) 4 th Year maintenance		Rs. 15.58 Per Plant	0
	(5) 5 th Year maintenance		Rs. 15.58 Per Plant	0

(6)	6 th Year maintenance		Rs. 15.58 Per Plant	0
(7)	7 th Year maintenance		Rs. 15.58 Per Plant	0
(8)	8 th Year maintenance		Rs. 15.58 Per Plant	0
(9)	9 th Year maintenance		Rs. 15.58 Per Plant	0
(10)	10 th Year maintenance		Rs. 15.58 Per Plant	0
(11)	Barbed wire fencing charge	RKM	Rs.76700/- Per RKM	0
		0		
Total (B) Addl. C.A. Charges				0
C	Penal C.A.		-	0
D	Catchment Area Treatment			
	Soil and Moisture Conservation charges		30% of the Total CA	30763
Total (D)				30763
E	Safety Zone (if required)			0
F	Additional Charges (if required)			0
Total (F)				0
G	Net Present Value of Forest Land to be diverted		Rs. 887000/- per ha.	10644
H	Felling charges	Vol. M ³	Rs.1200 /- per m ³	4248
		3.54		
Grand Total (A+B+C+D+E+F+G+H) to be deposited in CAMPA Fund				148197

2. **Technical details:-**

Technical details of Compensatory Afforestation Scheme are as follows:-

- General Details:- Plantation will be done with 3 strand barbed wire.
- Spacing:- 4 × 2½ meter
- Species:-
- Plantation Method :- Tall Plantation
- Soil and Moisture Conservation Works
- Protection (Fencing, Watch man, People's Participation etc.):- **Fencing**
- Proposed Monitoring Mechanism:- (M&E),
- Any Other information:- Nil.

Place:

Dated :

Note : CF (T) should countersign this C.A. scheme if area to be afforested is more than 5 hectare.